संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 11/2018-सीडीएस-(II) **दिनांक : 08.08.2018**

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 03.09.2018)

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2018

[एसएससी महिला (गैर-तकनीकी) कोर्स सहित]

(आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in)

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाता है।

2. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार वेबसाइट **www.upsconline.nic.in** का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अनुदेश संक्षेप में परिशिष्ट-II में दिए गए हैं ।

3. आवेदन भरने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **03 सितम्बर, 2018 सांय 6:00 बजे** तक भरे जा सकते हैं ।

4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। **डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।** ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का इस्तेमाल करेगा।

5. गलत उत्तरों के लिये दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** दिया जाएगा।

6. ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल **काले रंग के बाल पेन** का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल वर्जित है, पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-III में निहित 'विशेष अनुदेशों' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

7. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543** पर संपर्क कर सकते हैं।

8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का कोई अतिलंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स, ब्लूटूथ अथवा कीमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करने की जरूरत है। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा.सं. 8/2/2018 प.1 (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित कोर्सों में प्रवेश हेतु 18 नवम्बर, 2018 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

कोर्स का नाम तथा रिक्तियों की संभावित संख्या

(1)	भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून, जुलाई, 2019 में प्रारंभ होने वाला 147 वां कोर्स	100 [एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं।]
(2)	भारतीय नौसेना अकादमी, इझीमाला, जुलाई, 2019 में प्रारंभ होने वाला कार्यपालक कोर्स (सामान्य सेवा)/हाइड्रो	45 [एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों (नौसेना स्कंध) के लिए 6 आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं।]
(3)	वायु सेना अकादमी, हैदराबाद, जुलाई, 2019 में प्रारंभ होने वाले उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स अर्थात नं. 206 एफ(पी) कोर्स	32 [एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों (वायुसेना स्कंध) के लिए 03 आरक्षित रिक्तियां विशेष प्रवेश के लिए निर्धारित हैं।]
(4)	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 110 वां एसएससी (पुरूष) कोर्स (एनटी) (अक्टूबर 2019 में आरंभ)	225 [जिसमें 50 रिक्तियां, एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों हेतु एनसीसी विशेष प्रवेश के लिए निर्धारित हैं।]
(5)	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 24 वां एसएससी महिला (गैर तकनीकी) कोर्स (अक्टूबर 2019 में आरंभ)	12

टिप्पणी : (i) आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

टिप्पणी : (ii) उपरोक्त रिक्तियां अनुमानित हैं तथा सेवा मुख्यालय द्वारा किसी भी समय बदली जा सकती हैं।

ध्यान दें : (I)(क) उम्मीदवार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के संबंधित कॉलम में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि वह सेवाओं को अपने वरीयता क्रम में किस-किस पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं, पुरुष उम्मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार जितनी वरीयता के इच्छुक हों उन सभी का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओ.टी.ए.) के लिए पात्र हैं, उन्हें केवल ओ.टी.ए. को ही अपनी प्रथम तथा एकमात्र वरीयता देनी चाहिए ।

(ख) (i) यदि कोई पुरूष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को ही अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैनिक अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरूष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओ.टी.ए.) में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के लिए ही पात्र है । उन्हें ओ.टी.ए. को ही अपनी प्रथम तथा एकमात्र वरीयता देनी चाहिए।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार, वायु सेना अकादमी (ए एफ ए)को ही अपना प्रथम विकल्प दर्शाएं क्योंकि केंद्रीय संस्थापना/उड़ान चिकित्सा संस्थान में उनके लिए कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) तथा/अथवा वायु सेना चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया जाएगा। वायु सेना अकादमी को द्वितीय/तृतीय आदि विकल्प दर्शाए जाने की स्थिति में उसे अमान्य समझा जाएगा।

(घ) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें: (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें केवल उन कोर्सों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उसने अपनी वरीयता दी होगी और अन्य किसी कोर्स (कोर्सों) के लिए नहीं।

(ड.) किसी भी उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार दी गयी वरीयता में परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार

किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गयी हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गयी हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें : (II) भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्सों के बचे हुए उम्मीदवार अर्थात इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर स्थाई कमीशन प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी सिफारिश की गयी है लेकिन जिन्हें किन्हीं कारणों से इन कोर्सों में शामिल नहीं किया जा सकता है यदि वे बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए विचार योग्य हो सकते हैं, चाहे उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है :

(i) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है और

(ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं उन्हें वरीयता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिए अपना विकल्प दिया हुआ था क्योंकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा सकेंगे जिसके लिए वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।

(iii) वायु सेना को अपने प्रथम तथा एकमात्र विकल्प के रूप में चुनने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में विफल रहते हैं उन्हें एसएससी (ओटीए) प्रदान करने हेतु विचारार्थ शेष उम्मीदवारों को श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यदि ऐसे उम्मीदवार एसएससी (ओटीए) हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे ओटीए के लिए भी अपना **विकल्प** दें।

टिप्पणी - (I) : एनसीसी [सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध (वरिष्ठ प्रभाग) नौसेना स्कंध] के 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्सों की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि उनके लिए इस कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है, अत: इस कोर्स में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/ नौसेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किंतु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं।

किन्तु उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/ नौसेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई एण्ट्री, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एंट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक **- III,** आरके पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए)/वायुसेना मुख्यालय, जे ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106 को 13 मई, 2019 तक पहुंच जाएं। आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना स्कंध में दो शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और सीनियर डिवीजन और वायु सेना/नौसेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी - (II) : भारतीय सैनिक अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स में एनसीसी (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध) के 'सी' प्रमाण-पत्र धारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त इन उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर उपर्युक्त कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा।

(क) परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यविवरण, (ख) आवेदन प्रपत्र भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेशों, (ग) वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश, (घ) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश तथा (ड.) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमश: परिशिष्ट - I, II, III, IV, और V में विस्तार से समझाए गए हैं।

2. परीक्षा केन्द्र: परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)

अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐज़ल	इंफाल	पोर्ट ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बैंगलूरू	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मदुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापट्टनम
दिसपुर	नागपुर	

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आबंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों के आबंटन 'पहले आवेदन करो, पहले आबंटन पाओ' पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदन को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें : उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट : उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए पसंद के केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रवेश प्रमाण पत्र में आयोग द्वारा दर्शाए गए केन्द्र/प्रश्न पत्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र पर/प्रश्न पत्र में परीक्षा में बैठता है तो ऐसे उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार अविवाहित होना चाहिए और या तो

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भूटान की प्रजा हो, या
4. तिब्बती शरणार्थी, जो स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन करके आया हो।

परंतु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो ।

लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा ।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्तपर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:-

(1) भारतीय सैनिक अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरूष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म **02 जुलाई, 1995** से पहले का तथा **01 जुलाई, 2000** के बाद का न हो।

(2) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरूष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म **02 जुलाई, 1995** से पहले का तथा **01 जुलाई, 2000** के बाद न हो।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए :

केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जो **01 जुलाई, 2019** से 20 से 24 वर्ष के हैं अर्थात उनका जन्म **02 जुलाई, 1995** से पहले और **01 जुलाई 1999** के बाद का नहीं होना चाहिए (डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध एवं वर्तमान वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस धारकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष तक शिथिलनीय है अर्थात् उम्मीदवार का जन्म **02 जुलाई**, 1993 से पहले और **01 जुलाई 1999** के बाद का नहीं होना चाहिए।

नोट: 25 वर्ष की आयु से कम के उम्मीदवार अविवाहित होने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 वर्ष की आयु से अधिक वाले विवाहित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं परन्तु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें न ही विवाहित अधिकारियों हेतु निर्धारित आवास दिया जाएगा और न ही वे परिवार के साथ बाहर रह सकते हैं।

(4) **अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी कोर्स):** केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं, जिनका जन्म **02 जुलाई 1994** से पहले का तथा **01 जुलाई**, 2000 के बाद का न हो।

(5) **अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एसएससी गैर-तकनीकी कोर्स):** अविवाहित महिलाएं, संतानहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतानविहीन तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, (तलाक के कागजात होने पर) पात्र हैं। इनका जन्म **02 जुलाई, 1994** से पहले का तथा **01 जुलाई, 2000** के बाद न हुआ हो।

नोट : तलाकशुदा/विधुर पुरुष उम्मीदवार आईएमए/आईएनए/एएफए कोर्सों में प्रवेश के लिए अविवाहित पुरुष नहीं माने जाएंगे और तदनुसार वे इन कोर्सों के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

'अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं। कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी - 1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन या बाद की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी - 3 : उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि यदि उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(1) **भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(2) **भारतीय नौसेना अकादमी के लिए :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री।

(3) **वायु सेना अकादमी के लिए :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी में स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकों को ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अनंतिम प्रमाण पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे ।

जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष/सेमेस्टर डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी शेष है, वे भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय तक उम्मीदवार के पास अंतिम सेमेस्टर/वर्ष जिनके लिए परिणाम घोषित किए गए हैं, हेतु कोई मौजूदा बैकलॉग नहीं होना चाहिए और उन्हें कोर्स के प्रारंभ होने के समय डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो एकीकृत, मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) मुख्यालय, सीडीएसई एंट्री, पश्चिमी ब्लॉक - III आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204,सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ3 (ए)/वायु सेना मुख्यालय, जे ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110 106 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए, जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(1) भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रवेश हेतु **01 जुलाई, 2019** को या उससे पहले, भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश हेतु **01 जुलाई, 2019** को या उससे पहले तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश हेतु **13 मई, 2019** को या उससे पहले।

(2) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए **01 अक्टूबर 2019** तक या उससे पहले ।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे ।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी 1: जिन उम्मीदवारों को अभी उनकी डिग्री परीक्षा पास करनी शेष हो, उन्हें तभी पात्र माना जाएगा जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। जिन उम्मीदवारों द्वारा डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अभी अर्हता प्राप्त की जानी शेष है और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है; उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि यह उन्हें दी गई एक विशिष्ट छूट है। उनके लिए निर्धारित तिथि तक, उनके द्वारा डिग्री परीक्षा पास किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा इस तिथि को आगे बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को इस आधार पर, कि मूलभूत पात्रता विश्वविद्यालय परीक्षा देर से संचालित की गई; परीक्षा परिणाम की घोषणा में विलंब हुआ; अथवा किसी भी अन्य आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिग्री/सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे निर्धारित तिथि तक स्नातक डिग्री/ परीक्षा पास कर लिए जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-2 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनके उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उड़ान सीखने में असफल होने के कारण वायु सेना के जिन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किया जा रहा हो उन्हें भारतीय वायु सेना की नौ परिवहन/ग्राउंड ड्यूटी (गैर–तकनीकी) शाखाओं में शामिल किया जाएगा। यह रिक्तियों की उपलब्धता और निर्धारित गुणात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के आधार पर होगा।

(घ) शारीरिक मानक:

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - (II), 2018 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-IV में दिए गए शारीरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देश के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ।

4. शुल्क :

उम्मीदवारों को **रु. 200/- (केवल दो सौ रुपए)** फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की

किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-1 : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्यदिवस को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। "नकद भुगतान प्रणाली" का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 02.09.2018 को रात्रि 11:59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन-स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात 03.09.2018 को **सांय** 6:00 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी-3 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-4 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से दस दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट

नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

(5) आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवारों को **www.upsconline.nic.in** लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार ये नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन कि सी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में अथवा निजी रोजगार सहित सरकारी सेवा में कार्यरत हों, अपने आवेदन आयोग को ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें-I तथापि पहले से ही सरकारी सेवा कर रहे व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियत या दैनिक वेतन श्रेणी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें-II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें इस संदर्भ में सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए होंगे, उनको एकदम अस्वीकृत

कर दिया जाएगा।

किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है, उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के शीघ्र बाद, जिसके दिसम्बर, 2018 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित तैयार रखें।

(1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष।

(2) डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र हैं।

प्रथमत: सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें कॉलेज/ संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं, उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट प्रदान नहीं दी जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाणपत्रों में से कोई मूल प्रमाण पत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा

चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनके खर्च पर उनके घर वापिस भेज दिया जाएगा ।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है । जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना, या

(iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना, या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या

(xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल/फोन/पेजर/ब्लूटूथ या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या

(xiii) ऊपर खंडों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना,

तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उनके साथ ही उसे :

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) अगर वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख:

ऑनलाइन आवेदन 03 सितम्बर, 2018 **सांय 6:00** बजे तक भरे जा सकते हैं ।

7. आयोग/सेना/नौसेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आरआईडी तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) **यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए।** इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। **यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में**

परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की असंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र पर उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णत: अनंतिम होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

(iii) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(v) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण : आयोग/ सेना मुख्यालय से पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

कृप्या ध्यान दे :

(1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

(2) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई, एंट्री सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक - 3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली- 110066 को और नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को पीओ-3 (ए), वायुसेना मुख्यालय, 'जे' ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110 106 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए समन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा। केन्द्रों का आबंटन एसएसबी साक्षात्कार की तारीख योग्यताक्रम सूची, ज्वाइन करने के लिए अनुदेश संबंधी सभी प्रश्नों और चयन प्रक्रिया से संबद्ध किसी अन्य प्रकार की संगत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट **www.joinindianarmy.nic.in** देखें अथवा सभी कार्यदिवसों में 14:00 बजे से 17:00 बजे के बीच दूरभाष सं. (011)-26173215 और फैक्स सं. 011-26196205 पर भर्ती निदेशालय से संपर्क करें और वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए पीओ-3(ए)/वायुसेना मुख्यालय, 'जे' ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110 106 तथा नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखना चाहिए।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे गए समन पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए। नौसेना के उम्मीदवार परिणाम के प्रकाशन के तीन सप्ताह के बाद अपना बुलावा पत्र नौसेना की वेबसाइट

www.joinindiannavy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या **officer-navy”nic.in** पर ई मेल भेजें।

कृप्या ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैनिक अकादमी हेतु **फ़रवरी, 2019** के चौथे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु मई, **2019** के चौथे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे सेना मुख्यालय / भर्ती सीडीएसई एंट्री / एसएससी महिला एंट्री अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, वेस्ट ब्लॉक - III रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए अथवा दूरभाष संख्या 26173215 पर संपर्क करना चाहिए । नौसेना/ वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौसेना मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें- **(III)** में उल्लिखित है। (**फ़रवरी, 2019** के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)

8. **लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :**

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। **लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को स्वयं को भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकृत करना होगा ताकि उन्हें एसएसबी साक्षात्कार के लिए आमंत्रण पत्र प्राप्त हो सके।** भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकृत ईमेल आईडी और संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई आईडी एक ही होनी चाहिए और उम्मीदवार की अपनी होनी चाहिए। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे (अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी) (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई पर एसएससी (एनटी पाठ्यक्रम) जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है। चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो।

सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं

उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी :-

(i) जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष।

(ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षो/सेमिस्टरों के अंक पत्रकों सहित बैचलर डिग्री/अनंतिम डिग्री

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति और सहायता पाने के वह हकदार नहीं होंगे। वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्रपर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो क्रमश: आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जाएगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि से रखते हुए योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

टिप्पणी : वायु सेना तथा नौसेना उड़ान (एवियेशन) के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूट टेस्ट केवल एक बार होता है । अत:, उम्मीदवार द्वारा प्रथम परीक्षण (सीपीएसएस तथा/अथवा पीएबीटी) में प्राप्त किया ग्रेड ही भविष्य में वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार के समय लागू होगा । भारतीय नौसेना चयन बोर्ड/कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में पहले विफल रहे उम्मीदवार तथा आदतन चश्मा पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं ।

वायु सेना के लिए एक से अधिक माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष परीक्षण/साक्षात्कार:-

एफ (पी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के तीन माध्यम हैं, अर्थात् सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई)/एनसीसी/एयरमेन। वायु सेना के लिए एक से अधिक माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का, वायु सेना हेतु वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष परीक्षण/साक्षात्कार केवल एक बार होगा। एनसीसी अथवा एयरमेन के रूप में कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में विफल रहने वाले समान उम्मीदवारों को सेना/नौसेना/ओटीए हेतु ओएलक्यू परीक्षण के लिए पुन: तभी बुलाया जाएगा यदि उन्होंने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से आवेदन किया हो। आईएमए (डीई) पाठ्यक्रम तथा/अथवा नौसेना (एसई) पाठ्यक्रम तथा/अथवा वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को, भले ही वे एसएससी पाठ्यक्रम के लिए भी सफल हुए हों अथवा नहीं, फ़रवरी-मार्च, 2019 तक आयोजित होने वाले एसएसबी परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और केवल एसएससी पाठ्यक्रम के लिए सफल होने वाले उम्मीदवारों को अप्रैल से जून, 2019 तक आयोजित होने वाले एसएसबी परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

9. **प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए निरर्हताएं :**

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी या थल सेना अकादमी से अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण एनसीसी

तथा स्नातक कोर्स से पहले वापस किया गया हो, उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. अंक सार्वजनिक किए जाने की योजना

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आयोग, उम्मीदवारों के प्राप्तांक (लिखित परीक्षा तथा एसएसबी साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंक) सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अंकों की यह घोषणा केवल उन उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी, जो सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा हेतु एसएसबी साक्षात्कार में शामिल होंगे, परंतु अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकटन योजना के माध्यम से असफल उम्मीदवारों के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा, सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई उक्त सूचना के आधार पर, उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकेगा।

एसएसबी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को, आयोग द्वारा पूछे जाने पर इस संबंध में अपना विकल्प प्रदान करना होगा। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं और ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंकों संबंधी विवरण का प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा।

इस सीडीएस परीक्षा के अनर्हक उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

11. **भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :**

भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी के कोर्स के उम्मीदवारों को या महिला उम्मीदवारों को जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती होते हैं इस बात का परिवचन देना है कि जब तक उसका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली परीक्षा में भले ही

सफल हों। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में ही शादी कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

उम्मीदवारों को यह वचन देना होगा कि वे प्रशिक्षण पूरा होने तक विवाह नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार यदि अपने द्वारा आवेदन करने की तारीख के बाद विवाह कर लेता है तो वह प्रशिक्षण का पात्र नहीं होगा, भले ही वह लिखित परीक्षा अथवा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार अथवा चिकित्सा परीक्षा में सफल रहा हो। जो उम्मीदवार अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान विवाह करेंगे उन्हें निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें, सरकार द्वारा उन पर व्यय समस्त राशि लौटानी होगी।

12. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापिस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ओम प्रकाश)
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा

(ख) उन उम्मीदवारों का बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिए जाने वाला समय तथा प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक क्रमश: 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. **सभी विषयों के प्रश्नपत्र केवल वस्तुपरक प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।**

4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।

7. उम्मीदवारें को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अत: वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण :

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं. 01)

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामले के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देने मे सक्षम होना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 03)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां : प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं - जोड़ना, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमल भिन्न।

एकिक विधि: समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2,3,4,5,9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण/ गुणनखंड और भाज्य प्रमेय/ महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं: साधारण गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का महतम, समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघातीय समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए) दो अज्ञात राशियों के युगपद रैखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रैखिक असिमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रैखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X, जब $0^0 \leqq X \leqq 90^0$ कोटिज्या, स्पर्श रेखा X का मान जबकि X 0^0, 30^0, 45^0, 60^0 और 90^0 सरल त्रिकोणमितीय सारणयों, सरल त्रिकोणमितीय सारणयों का प्रयोग, ऊंचाइयों और दूरियों संबंधित सरल प्रशन ।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति: निम्नलिखित पर प्रमेय: (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयात और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुणधर्म, (8) वृत्त और उनके गुणधर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल हैं, (9) स्थानिल संयक।

क्षेत्रमिति

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल। ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल जिन्हे (फील्ड बुक) इन आकृतियों में विभाजित किया जा सकता हैं। घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृतीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व क्षेत्र तथा आयतन और गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज, आयत, चित्र, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि । केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापन ।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं - चरण-I तथा चरण-II । चरण- II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण- I में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चरण- I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)* विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में उनके संयुक्त रूप में कार्य निष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन (कांफ्रेंस) शामिल होता है। ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट **www.joinindianrmy.nic.in** पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं, नाम: साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं । आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आबटंन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारीसम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/नहीं होने तथा

प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है।

परिशिष्ट - II

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को **www.upsconline.nic.in** का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2. उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से उपर्युक्त साइट पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।

3. उम्मीदवारों को **200/- रु.** के शुल्क (महिला, अजा और अजजा उम्मीदवारों, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

4. ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार के पास विधिवत स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर .जेपीजी (.JPG) प्रारूप में इस प्रकार होने चाहिए ताकि प्रत्येक फ़ाइल 40 के.बी. से अधिक न हो और यह फोटो के मामले में 7 के.बी. और हस्ताक्षर के मामले में 5 के.बी. के से कम न हो।

5. अपना आवेदन फार्म भरना प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार के पास उसका मैट्रिक का प्रमाणपत्र तैयार होना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म की तारीख आदि मैट्रिक प्रमाणपत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार ही भरे जाने चाहिए।

6. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र

का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तितत्व परीक्षण/ एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

7. ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक, 08 अगस्त 2018 **से** 03 सितम्बर, 2018 **सांय 6:00** बजे **तक** भरा जा सकता है ।

8. आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजने चाहिए। तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भेजता/भेजती है तो वह यह सुनिश्चित कर ले कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।

9. एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

10. आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

11. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।

12. उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

परिशिष्ट - III
वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बाल पेन, लिखने के लिए भी

उन्हें काले बाल पेन का ही प्रयोग करना चाहिए। उत्तर पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, आदि परीक्षा हाल में न लाएं। **मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।**
उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का $^{1}/_{3}$ (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा

और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. **परीक्षा भवन में आचरण**

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. **उत्तर पत्रक विवरण**

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बाल प्वांइट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बाल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. **उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।**

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अत: उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रखरखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बाल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बाल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा**

जाएगा, अत: उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

वस्तुपरक परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3 …… आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कोन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं, **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बाल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है।**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बाल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) • (c) (d)

11. उम्मीदवार अपने उत्तरों को अपने ही हाथ से लिखें। उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. स्कैनेबल उपस्थिति सूची में एंट्री कैसे करें :

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने **केवल काले बाल पेन** से संगत विवरण भरना है।

(i) उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में, [P] वाले गोले को काला करना है।

(ii) समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काला करें।

(iii) समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।

(iv) समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।

(v) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

13. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

<u>अनुबंध</u>

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केन्द्र	**विषय**	**विषय कोड**			**अनुक्रमांक**						

मान लो यदि आप अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बाल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।

केन्द्र	**विषय**	**विषय कोड**		**अनुक्रमांक**					
दिल्ली	अंग्रेजी(ए)	0	1	0	8	1	2	7	6

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बाल पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।
आप काले बाल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।
आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूढ़ें। जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले बाल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात् ही करना चाहिए। 'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के अंग्रेजी प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें।

पुस्तिका क्रम (ए)

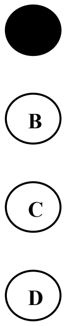

विषय

0 **1**

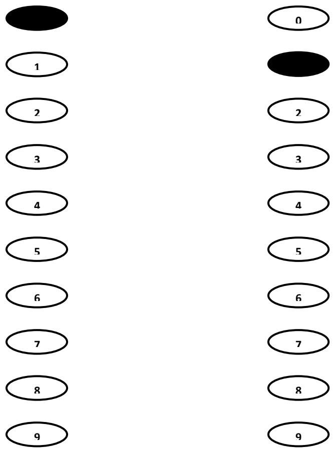

अनुक्रमांक

0	8	1	2	7	6

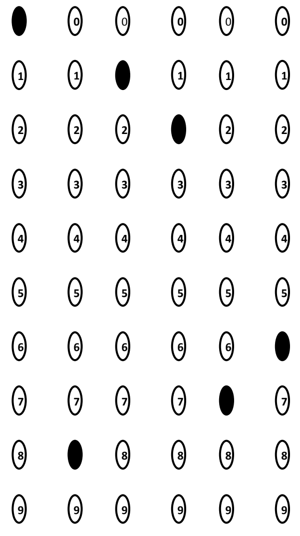

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे, तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट - IV

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश

टिप्पणी I : उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थता संबंधी मानक और तत्संबंधी दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं।

बहुत से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। अत: उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

टिप्पणी II : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी।

1. सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। महिला उम्मीदवारों का पुरुष/महिला चिकित्सकों/विशेषज्ञों/स्त्री रोग विशेषज्ञों से गठित एक चिकित्सक बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। एक महिला चिकित्सक बोर्ड की सदस्या होगी। अकादमी या प्रशिक्षणालय में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिए जाते हैं। तथापि, जो उम्मीदवार अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किए जाएंगे उन्हें मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा और अपील मेडिकल बोर्ड को अनुरोध किए जाने की प्रक्रिया भी उम्मीदवार को सूचित की जाएगी । अनुपयुक्त/अयोग्य उम्मीदवार अपील मेडिकल बोर्ड के (ए.एम.बी.) को आवेदन कर सकते हैं, जिसे सेवा मेडिकल बोर्ड (एस.एम.बी.) के 42 दिनों के भीतर ही पूरा किया जाना है तथा वे अपील मेडिकल बोर्ड के एक दिन पूरा होने के भीतर ही रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

एएमबी द्वारा अयोग्य घोषित किए उम्मीदवारों को ए.एम.बी. की जांच परिणाम को चुनौती देने की प्रक्रिया के संबंध में एएमबी अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा कि पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड (आर.एम.बी.) का आयोजन, मामले के गुणावगुण के आधार पर डी.जी.ए.एफ.एम.एस. के विवेक से स्वीकृत किया जाएगा तथा पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड का आयोजन अधिकार का विषय नहीं है। यदि अभ्यर्थी आर.एम.बी. में प्रार्थना करना चाहता है तो उसे डी.जी.आर.टी.जी. (सीडीएसई) आर्मी हैड-क्वा., वेस्ट ब्लॉक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 और डीएमएस (एमबी)/डी.जी.एम.एस. (वायु), वायु सेना मुख्यालय, आर.के. पुरम, यदि उम्मीदवार वायु सेना का हो, को संबोधित करना चाहिए तथा इसकी एक प्रति ए.एम.बी. अध्यक्ष को हस्तांरित करनी चाहिए। डी.जी.ए.एफ.एम.एस. का ऑफिस, तिथि एवं स्थान (केवल दिल्ली एवं पुणे), जहां अभ्यर्थी आर.एम.बी. के लिए प्रस्तुत होगा, को सूचित करेगा। उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक है:

(क) उम्मीदवार का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन, दैहिक दोष की स्थूलता नहीं होनी चाहिए।

(ग) पुरूषों के लिए कद कम से कम 157.5 सेंमी. (नौसेना के लिए 157 सेंमी तथा वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी.) का हो। महिलाओं के लिए कद कम से कम 152 सेंमी हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमायूं के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है।
यह छूट वायु सेना के मामले में लागू नहीं होगी। केवल थल सेना और नौसेना के लिए कद और वजन मानक नीचे दिए गए हैं। लंबाई के सापेक्ष भार निर्दिष्ट नहीं किए गए मामलों में अंतर्वेशन संभव है।

कद और वजन के मानक (पुरुष)

सेंटीमीटरों में कद (जूतों के बिना)	**वजन किलोग्राम में**		
	18 वर्ष	**20 वर्ष**	**22 वर्ष**
152	44*	46	47
155	46	48@	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65

183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	79

* नौसेना के लिए 45

@ नौसेना के लिए 47

उपर्युक्त सारणी में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौसेना के लिए) वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किंतु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतली देहयष्टि पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

कद और वजन के मानक (महिलाएं)

सेंटीमीटरों में कद (जूतों के बिना)	**वजन किलोग्राम में**		
	20 वर्ष	**25 वर्ष**	**30 वर्ष**
148	39	41	43
150	40	42	43.5
153	42	43.5	45
155	43	44	46
158	45	46	48
160	46	47	49
163	47	49	51
165	49	51	53
168	50	52	54

वायु सेना के उम्मीदवारों के स्वीकार्य वजन नीचे दिए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत होगा।

पुरूषों के विभिन्न आयुवर्ग और कद के लिए किलोग्राम में आदर्श वजन सामान्य व्यक्तियों के लिए वसा प्रतिशत (< 20)

वायु सेना के लिए

कद	**आयु रेंज**							
मि.मी.में	15-17	18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47	>48
1520	46	47	50	54	54	54	55	54
1530	47	47	51	55	55	54	56	54
1540	47	48	51	56	55	55	57	55
1550	48	49	52	56	56	56	57	56
1560	48	49	53	57	57	56	58	56
1570	49	50	54	58	58	57	58	57

1580	49	50	54	58	58	58	59	58
1590	50	51	55	59	59	59	60	58
1600	51	52	56	59	60	59	60	59
1610	51	52	56	60	60	60	61	60
1620	52	53	57	61	61	61	62	60
1630	52	54	58	61	62	61	62	61
1640	53	54	59	62	63	62	63	62
1650	53	55	59	63	63	63	64	62
1660	54	56	60	63	64	64	64	63
1670	54	56	61	64	65	64	65	64
1680	55	57	61	65	65	65	65	65
1690	55	57	62	65	66	66	66	65
1700	56	58	63	66	67	67	67	66
1710	56	59	64	66	68	67	67	67
1720	57	59	64	67	68	66	68	67
1730	58	60	65	68	69	69	69	68
1740	58	61	66	68	70	69	69	69
1750	59	61	66	69	71	70	70	69
1760	59	62	67	70	71	71	71	70
1770	60	62	68	70	72	72	71	71
1780	60	63	69	71	73	72	72	71
1790	61	64	69	72	73	73	73	72
1800	61	64	70	72	74	74	73	73
1810	62	65	71	73	75	75	74	73
1820	62	66	72	74	76	75	74	74
1830	63	66	72	74	76	76	75	75
1840	64	67	73	75	77	77	76	75
1850	64	68	74	75	78	77	76	76
1860	65	68	74	76	78	78	77	77
1870	65	69	75	77	79	79	78	77
1880	66	69	76	77	80	80	78	78
1890	66	70	77	78	81	80	79	79
1900	67	71	77	79	81	81	80	79
1910	67	71	78	79	82	82	80	80
1920	68	72	79	80	83	82	81	81
1930	68	73	79	81	83	83	81	82
एस डी	6.0	6.3	7.1	6.6	6.9	6.8	5.8	7.26

(घ) आपके अपने हित में आपको यह सलाह दी जाती है कि सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने से पहले आप कान की मैल, आंखों के अपवर्तन दोष, त्वचा आदि के कवकी संक्रमण

के लिए प्रारंभिक जांच करवा लें ।

(ड़) चयनित सभी उम्मीदवारों को कठिन सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा और किसी (भूभाग-, मौसम और कठोर परिस्थितियों में सैन्य ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में टीम के किसी भी सदस्य की बीमारी,पूरी तरह से सैन्य अभियानों को खतरे में डाल सकती है या पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उन अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए चिकित्सा जांच की जाती है, जो किसी भी"भूभाग-, मौसम और कठोर परिस्थितियों में सैन्य कर्तव्योंका पालन करने के लिए चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त हैं"। उम्मीदवार को - :

(i) प्रशिक्षण और सशस्त्र बलों के सैन्य कर्तव्योंको करनेके लिए शारीरिक और मानसिक दबाबको बकदास्त करने में सक्षम हो।

(ii) भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं की आवश्यकता के बिना और विशेष सैन्य परिवेश के अनुकूल होने चिकित्सा देखभाल के बिना सैन्य कार्य में सक्षम होने के लिए चिकित्सयफिट।

(iii) बीमारियों या शारीरिक दोषों से मुक्त हो ताकि उपचार और अन्स्पताल में भर्ती के कारण कार्यसमय की क्षति से बचा जाए।

(iv) संक्रामक रोगों से मुक्त हो,जो अन्य कर्मियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है।

(च) सभी उम्मीदवारों की जांच चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जो मूल सैन्य प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं और सैन्य तैनाती और कामकाजी परिस्थितियों के काम करने की स्थिति में अच्छी तरह से उन्मुख हैं। चिकित्साबोर्ड,नामित सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा और सैन्य विज्ञान में ऊपर दिए गए सिद्धांतों और नवीनतम ज्ञान के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। पूरे शरीर को सामान्य जन्मजात विकृति और अन्य आसानी से पता लगाने योग्य विकलांगता को प्रदर्शित करने के लिए संभवतः हद तक जांच की जाती है। चिकित्सा परीक्षा का निदान नैदानिक प्रकृति के लिए नहीं है, इसलिए केवल जहां तक संकेत दिया गया है स्क्रीनिंग के उद्देश्य के लिए सीमित जांच की जाती है। यहां बताई गई चिकित्सा फिटनेस के मानदंड केवल एक रूपरेखा हैं, और उम्मीदवारों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए ही इसका उद्देश्य है। चिकित्सा अधिकारियों का बोर्ड सशस्त्र बलों में भर्ती आयोग के लिए और अधिक /व्यापक चिकित्सा मानकों को लागू करता है।

(छ) निम्नलिखित चिकित्साबोर्ड के दौरान अनिवार्य रूप से जांच की जाती है,हालांकि, किसी भी उम्मीदवार का निरीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी /चिकित्साबोर्ड आवश्यक अन्य संकेतों के लिए पूछ सकते हैं या संकेत दे सकते हैं- :

(i) पूरा हामोग्राम
(ii) मूत्र आरई/ एमई
(iii) एक्स रे छातीपीए व्यू
(iv) यूएसजी पेट और श्रोणि

(ज) निम्नलिखित अस्वीकृति के लिए सामान्य कारण हैं, सूची संपूर्ण नहीं है और मेडिकल बोर्ड फिटनेस पर अंतिम प्राधिकरण है।

(i) साइन शरीर पर कहीं भी, फिस्टुला और हर्निया, पुटी, हाइपर हाइपो वर्णक पैच /, सूजन, नायवेस, संवहनी विकृतियां निशान।

(ii) <u>सिर और गर्दन</u> :मस्कुलोस्केलेटल-स्केलटेल विकृतियां जो सुरक्षा गियर, ग्रीवा रिब का उपयोग करने में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

(iii) <u>छाती</u>- मस्कुलोस्केलेटल विकृतियां जैसे एक्स्ट्रावैटम, पिंजन छाती, रिक्की मासुर, फुफ्फुस उगाना, फेफड़े के पैरेन्चिमल घाव, तपेदिक के सक्रिय या अवशिष्ट घावों।

(iv) <u>पेट और प्रजनन प्रणाली</u>हर्निया :, ऑर्नोमेगाली, नाड़ी विकृति गुर्दे की विकृति, पित्त पत्थरों, गुर्दे के टोन आदि प्रजनन प्रणाली की विकृति।

(v) <u>ऊपरी अंग, निचले अंग और रीढ़</u>जोड़ों :, क्यूबिटस वाल्गुस, क्यूबिटस वार्जेस, जीनू रिकरावटाम, हाथों और पैरों की विकृति, किफोसिस, स्कोलियोसिस, जन्मजात विकृति जैसे स्पाइना बिफिडा आदि की हाइपर लचीला या प्रतिबंधित गति।

(vi) <u>त्वचा:</u> विटिलिगो, निशान, संवहनी विरूपता पुरानी त्वचा रोग।

(झ) <u>आंखें और विजन मानकों</u>:

(i) मेरे पास होना चाहिए था -:

(कक) उद्देश्य अभिसरण यह ≤ 10 सेमी होना चाहिए

(कख) निवास। यह ≤ 12 सेमी होना चाहिए

(कग) द्विनेत्री एकल विजन (बीएसवी) यह कम-से-कम ग्रेड-3 होना चाहिए

(कघ) विजनदृश्य फ़ील्ड पूर्ण होना चाहिए

(कड) विजन :

	मानक
विजन	अंकरेकटेड वीए 6/60 और 6/60 बीसीवीए 6/6 और 6/6 माईपिया ≤ -3.50 डी स्पाई सहित दृष्टिवैषम्य, हाइपरमेट्रोपिया ≤ +3.50 डी स्पाई सहित दृष्टिवैषम्य
रंग धारणा	सीपी-II

(ii) निम्नलिखित नेत्र रोग एक उम्मीदवार को अयोग्य बना देगा:

(कक) पटोसिस

(कख) कॉर्नियल अस्पष्टता

(कग) टेरीगियम

(कघ) लेंसिकुलर अस्पष्टता

(कड़) यूवाइटिस।

(कच) अक्षिदोलन।

(कछ) इनट्रोपियन/ बहिर्वर्त्मता।

(कज) भेंगापन।

(कझ) रात अंधापन

(कञ) रेटिना घावों

(कट) नासो अवरोधन लैक्रमेल

(iii) <u>विजन सुधार</u>- रेडियल केराटोटमी स्वीकार्य नहीं है। दृश्य दोष के सुधार के लिए लेजर सर्जरी ऑपरेशन की तारीख में 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं किया जाना चाहिए था, और एक वर्षीय चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग की अवधि के भीतर भी नहीं होना चाहिए।

(ञ) <u>कान और हियरिंग मानक</u>:

(i) अस्वीकृति के कारण- :

(कक) <u>ऑरिकल और मास्टोइड क्षेत्र-</u> पिन्ना को कुल विकृति के लिए मूल्यांकन किया जाएगा जो वर्दी/ व्यक्तिगत किट/ सुरक्षात्मक उपकरण पहनने में बाधा डालेंगे या जो मिलिट्री बियरींग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे ।

(कख) <u>बाहरी श्रोता मीटस-</u> मोम की उपस्थिति, विदेशी शरीर, एक्सपोस्टोस, विकास, ओटोमोक्कोसिस या निर्वहन।

(कग) <u>टाइमपैनीक झिल्ली</u>-छिद्रण, निशान, टाइम्प्नोस्क्लोरोटिक सजीले टुकड़े या झिल्ली का त्याग। और स्थिर या आंशिक रूप से मोबाइल टाइम्पेनिक झिल्ली

(ii) <u>सुनने का मानक -</u> अभ्यर्थी को प्रत्येक कंस में 610 सेमी से मजबूर फुसफुसाल और संवादात्मक आवाज सुनने में सक्षम होना चाहिए, जो अलगअलग परीक्षक को अपनी पीठ पर - खड़े होंगे।

(ट) <u>महिला उम्मीदवारों की मेडिकल परीक्षा -</u> महिला उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा सामान्यत: पुरुष उम्मीदवारों के तरह समान होंगे। हालांकि, महिला उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित विशेष अंक अनुवर्ती पैराग्राफ में दिए गए हैं। एक प्रश्नावली के रूप में एक विस्तृत मासिक धर्म और स्त्रीविज्ञान के इतिहास उम्मीदवार से प्राप्त किया जाना है । एक विस्तृत भौतिक और प्रणालीगत परीक्षा उम्मीदवार से की जाएगी और उसे महिला चिकित्सा अधिकारी या स्त्री रोग

विशेषज्ञ द्वारा जांच की जानी चाहिए।

(i) परीक्षा में निम्नलिखित निरीक्षण शामिल होंगे

(कक) बाहरी जननांगता

(कख) हर्नियल orifices और perineum

(कग) तनाव मूत्र असंयम या इंट्रोडिटस के बाहर जननांग कोलाहल के कोई भी सबूत

(ii) सभी विवाहित उम्मीदवारों को गर्भाशय ग्रीवा या योनि के किसी भी फैलाव या वृद्धि के लिए स्पाकुलमपरीक्षा के अधीन किया जाएगा। सभी अविवाहित महिला उम्मीदवारों में, स्पाकुलम या प्रति योनि परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा।

(ii) प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान सभी महिला उम्मीदवारों में निचले पेट और श्रोणि के अल्ट्रासाउंड स्कैन अनिवार्य है।

(कक) बाहरी जननांग की किसी भी असमान्यता को प्रत्येक मामले के गुणों पर माना जाएगा ।

(कख) निम्नलिखित शर्तों में महिला उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(ककक) प्राथमिक या माध्यमिक अमानोरोहोआ

(ककख) गंभीर मेंन्नेरहागिया या / और गंभीर डिस्मानोरोहाया

(ककग) तनाव मूत्र असंयम

(ककघ) गर्भाशय ग्रीवा की जन्मजात वृद्धि या फैली हुई है जो सुधारात्मक सर्जरी के बाद भी इंट्रोइटस के बाहर आता हैं।

(ककङ) किसी भी आकार के जटिल डिंम्बग्रंथि पुटी।

(ककच) साधारण डिंम्बग्रंथि पुटी से अधिक 06 सेमी

(ककछ) एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमोसिस

(ककज) किसी भी आकार के शुक्राणु रेशेदार

(ककझ) किसी भी आकार के ब्रॉड अस्थिबंधन या ग्रीवा रेशेबाइवर के कारण ureter पर दबाव।

(ककञ) सिंगल फाइबाँयड गर्भाशय > 3 सेंटीमीटर व्यास या फाइब्रॉएड > 2 संरव्या, > 15 मिमी व्यास या फाइब्रॉएड के कारण एंडोमेट्रियल गुहा का विरूपण होता है।

(ककट) आर्कुएट गर्भाशय को छोडकर जन्मजात गर्भाशय विसंगतियों

(ककठ) तीव्र या पुरानी पेल्विक संक्रमण

(ककड) यौन भेदभाव की विकार

(ककढ) स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रत्येक मामले के गुणों पर किसी भी अन्य शर्त पर विचार किया जाएगा

(ककण) तर्कसंगत के मामले पर किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रत्येक मामले के गुणों पर किसी भी अन्य शर्त पर विचार किया जाएगा

(ट) गर्भावस्था - गर्भावस्था अस्थायी अस्वीकृति का कारण होगा। किसी व्यक्ति को बिना सोची योनि डिलीवरी के 24 सप्ताह बाद अस्पताल में फिर से रिपोर्ट करने की सलाह दी जाएगी। एमटीपी/ गर्भपात के मामले में समीक्षा न्यूनतम चार सप्ताह और12 सप्ताह तक की जाएगी। हालांकि, सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी के मामले में, उम्मीदवार 52 सप्ताह की अवधि के लिए अयोग्य रहेगा। उस व्यक्ति को गैनोकोलॉजिस्ट द्वारा जांच की जाएगी और उसकी फिटनेस के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा। जिन मामलों में, छह महीने से अधिक समय की अवधि समाप्त हो गई है, उनकी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के बाद, मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें पूरी चिकित्सा परीक्षा दोहराने का अधिकार दिया जाएगा।

2. केवल वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त के साथ निम्नलिखित चिकित्सा मानक भी लागू होंगे ।

(क) वायु सेना के लिए स्वीकार्य मानव देह संबंधी माप निम्न प्रकार है :

ऊँचाई	: 162.5 से.मी.
टांग की लंबाई	: न्युनत्तम 99 से.मी. और अधिकतम 120 से.मी.
जांघ की लंबाई	: अधिकतम 64 से.मी.
बैठ कर ऊँचाई	: न्युनत्तम 81.5 से.मी. और अधिकतम 96 से.मी.

(ख) छाती का एक्स-रे जरूरी है

(ग) **वायुसेना हेतु दृष्टि मानक**

ऐनक पहनने के अभ्यस्त हो चुके उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं। न्यूनतम दूरदृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी में 6/9, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक शोधित कलर विजन सीपी-1.

हाइपरमेट्रोपिया + 2.0 डीएसपीएच

मेनिफेस्ट मायोपिया - शून्य

रेटिनोस्कोपिक मायोपिया - किसी भी अनुमत मेरिडियन में -0.5

दृष्टिवैषम्य (एस्टिग्मेटिज्म) : +0.75 डीसीवाईएल (+2.0 डी अधिकतम के अंतर्गत)

मेडोक्स रॉड टेस्ट

(i) 6 मीटर पर - एक्सो - 6 प्रिज्म डी
एसो - 6 प्रिज्म डी
हाइपर - 1 प्रिज्म डी
हाइपो - 1 प्रिज्म डी

(ii) 33 सेंमी. पर - एक्सो - 16 प्रिज्म डी
एसो - 6 प्रिज्म डी
हाइपर - 1 प्रिज्म डी
हाइपो - 1 प्रिज्म डी

हस्तधारित त्रिविमदर्शी - बीएसवी के सभी ग्रेड

अभिसरण - 10 सेंमी. तक

(i) रिफ्रैक्टिव सर्जरी : जिन उम्मीदवारों का पीआरके(फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटॉमी/लेसिक लेजर इन सीटू केराटोमिल्यूसिस) हुआ है, उन्हें वायु सेना की सभी शाखाओं में कमीशन

प्रदान करने के प्रयोजन से फिट माना जा सकता है।

(ii) पीआरके/लेसिक के बाद उम्मीदवारों के लिए शाखा के मामले में पैरा 3.12.5.2 में यथाउल्लिखित दृष्टि संबंधी मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

(iii) पीआरके/लेसिक करवा चुके उम्मीदवारों को, वायु सेना चिकित्सा परीक्षण के समय, चयन हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

(कक) पीआरके/लेसिक सर्जरी, 20 वर्ष की आयु से पहले न हुई हो।

(कख) आईओएल मास्टर के माप के अनुसार, नेत्र की एक्सियल लंबाई 25.5 एमएम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(कग) बिना किसी जटिलता के स्टेबल पीआरके/लेसिक करवाए कम से कम 12 महीने बीत चुके हों, और इस बीच किसी किस्म की कोई चिकित्सा संबंधी परेशानी (कॉम्प्लिकेशन) न हुई हो।

(कघ) पीआरके/लेसिक के बाद, कॉर्नियल पेकाईमीटर की माप के अनुसार, कॉर्निया की मोटाई 450 माइक्रॉन से कम नहीं होनी चाहिए।

(कड.) पीआरके/लेसिक से पहले उच्च रिफ्रैक्टिव एरर(>6डी) वाले उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(कच) वायु सेना से जुड़े किसी भी कार्य के प्रयोजनार्थ, रिफ्रैक्टिव एरर को दूर करने के लिए रेडियल केराटोटॉमी (आरके) और फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटॉमी (पीआरके) सर्जरी की अनुमति नहीं है। आईओएल इंप्लांट के साथ अथवा इसके बिना केटेरेक्ट सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवारों को भी अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

द्विनेत्री दृष्टि - अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए।

(उत्तम विस्तार और गहराई सहित फ्यूजन और स्टीरियोप्सिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक सर्जरी हो चुकी हो, उन्हें भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग शाखा में स्थायी कमीशन हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है।

(घ) **श्रवण शक्ति मानक**

(i) वाक परीक्षण : प्रत्येक कान से 610 सेंमी से कानाफूसी सुनाई दे।

(ii) श्रव्यतामितिक : 250 एचजैड तथा 8000 एचजैड के बीच की आवर्तियों में व्यश्रिमत कमी 20 डीबी से अधिक न हो।

(ड.) रूटीन ईसीजी सामान्य सीमा में हो।

3) एक्स-रे जांच के उपरांत निम्नलिखित स्थितियों का पाया जाना थल सेना और नौ सेना में प्रवेश के लिए अपात्रता होगा :

(क) मेरूदंड का कणिकागुल्मीय रोग।

(ख) आर्थराइटिस/स्पौंडेलेसिस।

(ग) कॉब पद्धति से मापा गया 10° डिग्री से अधिक स्कोलिओसिस

(घ) मंद से अपेक्षाकृत अधिक कायफोसिस/लार्डोसिस।

(ड.) स्पोंडीलोसिथैसिस/स्पोंडिलेसिस।

(च) हर्निएटिड न्यूकलिय पलपोसस।

(छ) कशेरूका का सम्पीडन अस्थिभंग।

(ज) सेक्रेलाइजेशन रोग।

(झ) प्रदर्शनीय तंत्रिकीय या परिसंचरणीय अभाव के साथ ग्रेव पर्शुका।

(ञ) पद से अधिक स्तर पर स्कलिमोर्ल नोड की उपस्थिति।

(ट) शीर्ष घरानुकपाल (ऐंटलांटो-आकसीपोटल) तथा ऐटलांटो अक्षीय असंगतियां।

(ठ) अपूर्ण सेक्रेलाइजेशन एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय।

(ड) एसवी-1 तथा एलवी-5 से इतर स्वाईनाबाईफिडा।

(ढ) विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य असामान्यता।

वायु सेना हेतु मेरूदंड की स्थिति

मेरू या सेक्रो इलियक संधि संबंधी रोग या चोट का पूर्व चिकित्सा वृत्त होने के कारण उन वास्तविक लक्षणों के साथ या बिना, जिनके कारण उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली सफल तरीके से न व्यतीत कर रहा हो, भारतीय वायुसेना में कमीशन हेतु निरस्तीकरण का मामला है। पूर्व में मेरू अस्थिभंग/भ्रंश कशेरूकी डिस्क तथा इन स्थितियों में हुई शल्य चिकित्सा भी निरस्तीकरण का आधार होगा। चिकित्सा परीक्षा के समय निम्नलिखित स्थितियों का पता लगने पर वायु सेना सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा।

(क) मेरूदण्ड का कणिका गुल्मीय रोग

(ख) संधिशोध संरूप/कशेरूकासंधिग्रह

  (i) रूमेटॉइड सन्धिशोध तथा संबद्ध विकार

  (ii) संधि सायुज्यक कशेरूकासंधिशोध

  (iii) अस्थिसंधि विकृति, कशेरूकासंधिग्रह तथा व्यपजनन संधि रोग

  (iv) गैर संधि आमवात (यथा घूर्ण कफ की विक्षति, टेनिस कूर्पर, प्रत्यावर्ती कटिवेदना)

  (v) एसएलई, त्वक्पेशी शोथ, बहुपेशीशोथ, वाहिकाशोथ सहित विविध विकार

(ग) कशेरूकाग्रसर्पण/स्पांडिलोलाइसिस/कशेरूकासंधिग्रह

(घ) कशेरूका का सम्पीड़न अस्थिभंग

(ड.) शुअरमैन्स रोग (कौमार कुब्जता)

(च) ग्रीवा मेरू की नैदानिक प्रतिबंधित गति से संबंध ग्रीवा अग्रकुब्जता की क्षति

(छ) स्पष्ट तंत्रिका विज्ञानी या परिसंचरण ह्रास सहित एकपार्श्वी/द्विपार्श्वी ग्रैव पर्शुका

(ज) कोब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता

(झ) डीजेनरेटिव डिस्क रोग

(ञ) एक से अधिक स्तर पर श्मोर्ल नोड्स का पाया जाना

(ट) शीर्षधर-पश्चकपाल और शीर्षधर-अक्षक असंगतियां

(ठ) ग्रीवा, अभिपृष्ठ या कटि मेरूदण्ड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरूका तथा/अथवा अपूर्ण अवरूद्ध (फ्यूज्ड) कशेरूका तथा ग्रीवा या अभिपृष्ठ मेरूदण्ड में एक से अधिक स्तर पर पूर्णतया अवरूद्ध कशेरूका

(ड) सभी स्तरों पर एकपार्श्वी त्रिकास्थिभवन या कटि कशेरूकाभवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपार्श्वी अपूर्ण त्रिकास्थिभवन या कटि कशेरूकाभवन

(ढ) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य अपसामान्यता

4. नौसेना उड़ान (एविएशन) शाखा के उम्मीदवारों के लिए सर्वाधिक प्रभावित आंख में निकट दृष्टि दोष -0.75 डी तथा दोनों आखों में दूर दृष्टि दोष +1.5 डी की सीमा को छोड़कर शेष चिकित्सा मानक वायु सेना के समान ही होंगे।

5. किसी एक सेवा के लिए निर्धारित विशेष परीक्षण किए जाने के दौरान यदि अक्षमता का पता चलता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा अनर्हक ठहराए जाने की स्थिति में वह अक्षमता उम्मीदवार को अन्य सेवा (सेवाओं) के लिए भी अयोग्य ठहरा सकती है।

6. शारीरिक अवस्था : संभावित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधोउल्लिखित दिनचर्या का पालन करके स्वयं को अच्छी शारीरिक अवस्था में रखें:

(क) धावन/दौड़ : 15 मिनट में 2 से 4 किमी

(ख) रस्सी कूद

(ग) पुश अप एवं सिट अप : प्रत्येक न्यूनतम 20

(घ) चिन अप : न्यूनतम 08

(ङ.) रस्सी पर चढ़ना/आरोहण : 3 से 4 मीटर

परिशिष्ट - V

(सेवा का संक्षिप्त विवरण आदि)

सेना के अधिकारियों के वेतनमान और वायु सेना और नौसेना में बराबर रैंक

(i) वेतन

रैंक	लेवल	(वेतन, रुपये में)
लेफ्टिनेंट	लेवल 10	56,100 - 1,77,500
कप्तान	लेवल 10बी	6,13,00-1,93,900
मेजर	लेवल 11	6,94,00 - 2,07,200
लेफ्टिनेंट कर्नल	लेवल 12ए	1,21,200 - 2,12400
कर्नल	लेवल 13	1,30,600-2, 15,900
ब्रिगेडियर	लेवल 13ए	1,39,600-2,17,600
मेजर जनरल	लेवल 14	1,44,200-2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल	लेवल 15	1,82,200 - 2,24,100
एचएजी + स्केल	लेवल 16	2,05,400 - 2,24,400
वाइस थलसेनाध्यक्ष / सेना कमांडर / लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)	लेवल 17	2,25,000/-(नियत)
थलसेनाध्यक्ष	लेवल 18	2,50,000/-(नियत)

अधिकारी को देय सैन्य सेवा वेतन निम्नानुसार है

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को देय सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)	रु.15500प्रतिमाह नियत

कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वजीफा: -

सेवा अकादमी यानी आईएमए और ओटीए में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान पुरुषया महिला कैडेटों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा	रु.56,100/- प्रतिमाह* (लेवल 10 में आरंभिक वेतन)

* सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्ति पर, कमीशन प्राप्त अधिकारी का वेतन, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 के प्रथम सेल में तय किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा तथा प्रशिक्षण अवधि के लिए कैडेटों को यथाअनुमेय भत्तों के बकाया का भुगतान किया जाएगा।

(ii) योग्यता वेतन और अनुदान

(i) योग्यता अनुदान

इसे अलग से भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया गया है। पात्र कर्मचारियों के मामले में नया प्रस्तावित उच्चतर योग्यता प्रोत्साहन (एच क्यू आई) लागू होगा। एच क्यू आई के लिए आदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी जारी किया जाना है।

(ii) फ्लाइंग भत्ता: -

आर्मी एविएशन कोर में सेवारत सेना विमानवाहक (पायलट्स) को उड़ान प्रदान करने के हकदार हैं:-

लेफ्टिनेंट और इससे ऊपर	लेवल 10 और इससे ऊपर	रु. 25,000/- प्रतिमाह नियत (जोखिम व कठिनाई मैट्रिक का आर1 एच1)

(iii) अन्य भत्ते:-

(a)	महंगाई भत्ता	समय समय पर असैनिक कर्मचारियों को यथाअनुमेय दरों तथा परिस्थितियों के समान
(b)	किट रखरखाव भत्ता	नव प्रस्तावित ड्रेस भत्तेमें शामिल अर्थातरु. 20,000/- प्रति वर्ष

रैंक और पोस्टिंग के क्षेत्र के आधार पर, फील्ड क्षेत्र में तैनात अधिकारी निम्न क्षेत्र क्षेत्र के लिए पात्र होंगे:-

रैंक	स्तर	एचएफए	फील्ड एरिया भत्ता	संशोधित फील्ड एरिया भत्ता
लेफ्टिनेंट और ऊपर	स्तर 10 और ऊपर	16900 आर1 एच2	10500 आर2 एच2	6300 आर2 एच2 का 60 प्रतिशत

(iv) हाई आल्टीट्यूड भत्ता

रैंक	स्तर	श्रेणी-I (प्रति माह)	श्रेणी -II (प्रति माह)	श्रेणी -III (प्रति माह)
लेफ्टिनेंट और ऊपर	स्तर 10 और ऊपर	3400 आर2 एच3	5300 आर1 एच3	25000 आर1 एच1

(v) सियाचिन भत्ता

सियाचिन भत्ता रु.**42,500/-** प्रति माह होगा।

(vi) वर्दी भत्ता

नव प्रस्तावित वर्दी भत्ते में शामिल अर्थात् रु.20,000/-प्रति वर्ष

(vii) मुफ्त राशन

(1) फील्ड क्षेत्र में सभी सेना अफसरों के लिए

(2) शांति क्षेत्र में तैनात सेना अफसरों को प्रति माह राशन राशि भत्ता (आर एम ए) दिया जाएगा।

(viii) परिवहन भत्ता(टीपीटीए)

वेतन लेवल	उच्च टीपीटीए शहर (रुपये प्रति माह)	अन्य स्थान (रुपये प्रति माह)
9 और ऊपर	रु.7200+ उस पर देय महंगाई भत्ता	रु.3600+ उस पर देय महंगाई भत्ता

नोट: -

(क) उच्चतर परिवहन भत्ता शहर (यू.ए.):-

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।

(ख) सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान किए गए सेवा कर्मियों के लिए भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) वेतनमान स्तर 14 और उससे अधिक के अधिकारी, जो आधिकारिक कार का उपयोग करने के हकदार हैं, को अधिकृत कार सुविधा का लाभ उठाने या रुपये 15,750प्रति माह की दर से टीपीटीए + सहित आहरितकरने का विकल्प होगा।

(घ) पूरे कैलेंडर माह (माहों) में छुट्टी पर रहने पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ड़) शारीरिक रूप से विकलांग सेवा कर्मियों को दोगुनी दर पर भुगतान करना जारी रखा जाएगा, जो न्यूनतम रु.2250 + उस पर देय महंगाई भत्ता होगा।

(ix) **संतान** शिक्षा **भत्ता** केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए 2250/–रू प्रति बच्चा। यह संतान शिक्षा भत्ता नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए देय होगा।

(i) वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष में प्रतिपूर्ति केवल एक बार किया जाना चाहिए (जो कि अधिकांश विद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष के साथ मेल खाता है)।

(ii) सरकारी कर्मचारी के बालक जहां अध्ययनरत हैं उससंस्थान के प्रमुख से इस उद्देश्य काप्रमाण पत्र पर्याप्त होना चाहिए। प्रमाण पत्र द्वारा यह पुष्टि होनी चाहिए कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान बच्चे विद्यालय में पढ़े थे।

रक्षा बलों के लिए विशिष्ट भत्तों के मामले में, प्रत्येक बार संशोधित वेतनबैंड पर देय महागाई भत्ता 50% तक बढ जाने पर इन भत्तों की दरें स्वत: 25% बढ़ जाएंगी(भारत सरकार दिनांक 18 सितंबर 2017 का पत्र संख्या 1/(16)/2017/ डी (वेतन/ सेवाएं))।

(क) भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. भारतीय सैनिक अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :

(क) इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के

परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरूद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है, या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र और किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जेनटलमैन कैडेट" के रूप में दर्ज किए जायेंगे। "जेनटलमैन कैडेट" पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए "भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के नियम और विनियम लागू होंगे।"

3. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, तथापि यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद बर्दाशत करेंगे। भारतीय सैनिक अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 200.00 रु. से अधिक होने की संभावना नहीं है) यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप से बर्दाशत करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और नौ सेना या वायु सेना में स्थापित सदृश प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे ऐसे पुरुष/महिला कैडेट, जिनके माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है वित्तीय सहायता लेने के हकदार हैं। जिन माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक लेकिन 2000/- रु. (संशोधन विचाराधीन) से अधिक नहीं है। यदि उनका एक लड़का/आश्रित उक्त एक या एक से अधिक संस्था में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके बच्चों/आश्रितों को भी वही वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संस्थाएं एक ही सेवा के अधीन हैं या नहीं।

वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र देना चाहिए। जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

(क)	प्रतिमाह रु. 200.00 के हिसाब से 5 महीने का जेब खर्च	1000.00 रु.
(ख)	वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	2750.00 रु.
	योग	3750.00 रु.

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी।

200.00 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने के जेब खर्च 1000.00 रुपए

5. **भारतीय सैनिक अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :**

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति :** यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडटों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रुपए प्रति वर्ष है जो कैडेटों को भारतीय सैनिक अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(2) **कर्नल कैंडिल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति :** इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपए प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सैनिक अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होती वह :

(क) कैडेट को कमीशन दे दिए जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी। किंतु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्याग पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल लिए जाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें व उनके माता–पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाता उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की लागत का भुगतान करने के बाद, सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सेना से आए उम्मीदवारों को उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

8. कमीशन, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

10. **प्रशिक्षण**

भारतीय सैनिक अकादमी में आर्मी कैडेट को 'जेन्टलमैन कैडेट' का नाम दिया जाता है। उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफेंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेन्टलमैन कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एसएचएपीई में शारीरिक रूप से

स्वस्थ हो।

11 **सेना सामूहिक बीमा योजना**. जो लेडी/जेंटलमैन कैडेट वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे हों, उनका 75 लाख रु० के लिए बीमा किया जाता है। जिन लेडी/जेंटलमैन कैडेटों को अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता के कारण अकादमी से बाहर कर दिया जाता है और वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 25 लाख रु० का बीमा किया जाएगा। इसे 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु० तक आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। लेकिन, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए 50,000/– रु० के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। शराब, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके साथ ही जिन लेडी/जेंटलमैन कैडेटों को अनुशासनिक आधार पर वापस बुलाया गया हो, अवांछित माने जाने के कारण बाहर निकाल दिया गया हो अथवा जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ दी हो, वे भी विकलांगता और अनुग्रह अनुदान के लिए हकदार नहीं होंगे। नियमित सेना अफसरों पर यथा लागू मुख्य सेना सामूहिक बीमा योजना के तहत सदस्य बनने के लिए जेंटलमैन कैडेटों को मासिक आधार पर अंशदान के रूप में 5,000/– रु० की दर से अग्रिम भुगतान करना होगा। निर्वासन अवधि के लिए अंशदान की वसूली भी इसी दर से की जाएगी।

12. किसी कैडेट (स्वयं) की चिकित्सा आधार पर अशक्तता/सैन्य प्रशिक्षण के कारण हुई/बढ़ी किसी समस्या के कारण कैडेट की मृत्यु की स्थिति में कैडेट (स्वयं)/निकट संबंधियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ देय होंगे :–

(क) **विकलांगता की स्थिति में**

(1) 9000/– रु प्रति माह की दर से मासिक अनुग्रह अनुदान।
(2) विकलांगता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए मिलने वाले अनुदान के साथ ही 16200/– रु प्रति माह की दर से अनुग्रह विकलांगता अनुदान देय होगा जो विकलांगता 100 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में यथानुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। विकलांगता 20 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में कोई विकलांगता लाभ नहीं दिया जाएगा।
(3) अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड (आई एम बी) की सिफारिश पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए 6750/– रु प्रति माह की दर से सतत परिचर भत्ता (सी ए ए) देय होगा।

(ख) **मृत्यु के मामले में**

(1) निकट संबंधी को 12.5 लाख रु की अनुग्रह अनुदान राशि।
(2) निकट संबंधी को 9000/– रु प्रति माह की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ग) कैडेटों (स्वयं)/निकट संबंधियों को अनुग्रह अनुदान देने की मंजूरी केवल अनुग्रह आधार पर की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य से पेंशन नहीं माना जाएगा। फिर भी,

लागू दरों पर मासिक अनुग्रह तथा अनुग्रह विकलांगता अनुदान पर भी महंगाई राहत प्रदान की जाएगी (प्राधिकार : भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17(02)/2016–डी(पेंशन/नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017 के पैरा 11 व 12 के तहत यथा संशोधित भारत सरकार का पत्र सं० 17(01)/2017(01)डी(पेंशन/नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017)।

13. **सेवा की शर्तें :**

(1) तैनाती :

थलसेना अधिकारी को भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

(2) पदोन्नति

स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :

समयमान द्वारा:

लेफ्टिनेंट	(प्रशिक्षण पूर्ण होने पर)
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल (टीएस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

चयन द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु अर्हक सेवा निम्नानुसार है :

ब्रिगेडियर	23 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबंध नहीं

(ख) **भारतीय नौसेना अकादमी, इझीमाला, केरल में पदभार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों के लिए**

(i) **भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, स्नातक कैडेट विशेष प्रवेश योजना (जीएसईएस)** कोर्स के अंतर्गत कैडेट के रूप में की जाएगी। कैडेटों का चयन, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) में उनके अर्हक होने के उपरांत एसएसबी साक्षात्कार तथा चिकित्सा जांच के आधार पर किया जाएगा। मेधावी उम्मीदवार जो चिकित्सकीय रूप में उपयुक्त हैं, को योग्यता सूची के क्रम में, 45 रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया जाएगा। इन 45 रिक्तियों में से छह रिक्तियों, एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत नौसेना एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(ii) **<u>राष्ट्रीय कैडेट कोर में से उम्मीदवारों का चयन</u>** एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता, आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएं, निम्नलिखित को छोड़कर वही होंगी, जो जी एस ई एस उम्मीदवारों के मामले में हैं:-

(क) एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग के सीनियर डिवीजन में न्यूनतम दो शैक्षणिक वर्षों के लिए सेवा अवश्य की हो और उसके

पास प्रमाण पत्र 'सी' (नौसेना) अवश्य हो। वे उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने प्रमाण पत्र 'सी' परीक्षा दी है, अथवा देने के इच्छुक हैं। परन्तु, ऐसे उम्मीदवारों का अंतिम चयन, कोर्स प्रारंभ होने से पहले उनके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा।

(ख) एनसीसी कैडेट के पास उसके विश्वविद्यालय अथवा उसके कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी उत्तम आचरण तथा चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ग) एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग का सीनियर डिवीजन छोड़ने के बारह महीनों के उपरांत आवेदन करने के पात्र नहीं रहेंगे।

(घ) आवेदन करने के लिए कैडेट, अपने आवेदन पत्र अपने कमान अधिकारी, एनसीसी यूनिट, नौसेना विंग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कमान अधिकारी, इन आवेदन पत्रों को संबंधित सर्किल कमांडर के माध्यम से एनसीसी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेंगे। एनसीसी निदेशालय, इन आवेदन पत्रों को नौसेना प्रमुख को अग्रेषित करेंगे। ये आवेदन, निर्धारित प्रपत्र में जमा किए जाएंगे। ये प्रपत्र सभी एनसीसी इकाइयों में उपलब्ध होंगे।

(ड.) प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार तथा अन्य परीक्षणों के लिए उपस्थित होना होगा।

(च) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया में कम से कम न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। इस शर्त तथा उम्मीदवारों के चिकित्सकीय रूप से फिट होने की शर्त के अध्यधीन, सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम चयन, योग्यता क्रम के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैंडेट्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। 35000/- रु. की राशि उनके द्वारा दी जाएगी और बैंक एकाउंट में जमा की जाएगी जिसे वे आने पर भारतीय स्टेट बैंक, इझीमाला शाखा में खुलवाएंगे। क्योंकि यह बड़ी राशि है, यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं का देय डिमांड ड्राफ्ट लाएं। जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

(क)	पाकेट/निजी व्यय	5000/- रु. @ 1000 रु. प्रतिमाह की दर से
(ख)	धुलाई, सिविलियन बियरर, सिनेमा, बाल कटाई और अन्य विविध सेवाएं	4,250/- रु. @ 850 रु. प्रतिमाह की दर से
(ग)	अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, अकादमी मुफ्ती, अकादमी खेल के कपड़े, जोगिंग शूज, जंगल बूट्स, स्विमिंग ट्रैक/सूट और बस्ता की स्टिचिंग/खरीद पर व्यय	20,000/- रु.
(घ)	अवधि के अंत में वापसी यात्रा, नौ सेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर अवकाश ड्यूटी स्टेशन/होम स्टेशन पर जाने के लिए यात्रा व्यय	2,000/- रु.

(ड.) **बीमा :** नौसेना अकादमी में 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान, प्रतिवेतन के समय, उम्मीदवार को 8 लाख रूपए के बीमा आवरण हेतु 780/- रूपए की राशि के प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जो कि वापस नहीं होगा। प्रत्येक पदावनति अवधि के लिए रुपए

780/- के एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

(iv) **प्रशिक्षण** चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के बाद कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आरंभिक प्रशिक्षण, जिसका विवरण निम्नानुसार है, पूरा होने तक उम्मीदवार, परिवीक्षाधीन रहेंगे।

क)	आईएनए, इझीमला का नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	44 सप्ताह
ख)	प्रशिक्षण पोत पर अधिकारी समुद्री प्रशिक्षण	06 माह
ग)	सब-लेफ्टिनेंट एफ्लोट प्रशिक्षण	06 माह
घ)	सब-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम) प्रदान किए जाने हेतु एफ्लोट अटैचमेंट	32 सप्ताह
ड.)	संपूर्ण नौसेना अभिरक्षा **प्रमाण**-पत्र	06-09 माह

(v) **नियुक्ति तथा अन्य हितलाभ :** लगभग 18 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत, कैडेटों, को सब- लेफ्टिनेंट के रैंक में नियुक्त किया जाएगा। कैरियर की संभावनाएं, अवकाश हितलाभ, अवकाश तथा यात्रा रियायत, पेंशन/सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा नौसेना में अधिकारियों को प्रदत्त ऐसी समस्त अनुलब्धियां तथा विशेष सुविधाएं उसी प्रकार की होंगी, जो दो अन्य सेनाओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

(vi) भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, तब तक वे कैडेट रहते हैं, उनके पॉकेट तथा अन्य निजी खर्चों का भार उसके माता-पिता अथवा संरक्षक उठाएगें। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ प्रधान निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 के पास भेज देगा।

टिप्पणी : यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह मानव संसाधन एवं भर्ती निदेशालय, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) **वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :**

1. एफ (पी) कोर्स में तीन प्रकार से प्रवेश लिया जा सकता है यानि सी डी एस ई/एन सी सी विशेष प्रविष्टि/ए एफ सी ए टी (AFCAT)। जो उम्मीदवार एक से अधिक माध्यमों से वायु सेना के लिए आवेदन करते हैं उनकी प्रविष्टि की किस्म के अनुसार वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष उनकी परीक्षा/साक्षात्कार लिया जाएगा। कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) में फेल होने वाले समान उम्मीदवारों की भारतीय वायु सेना में उड़ान शाखा के लिए परीक्षा नहीं ली जा सकती।

2. **प्रशिक्षण पर भेजना :**

वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। डाइरेक्ट एंट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एनसीसी उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है। डायरेक्ट एंट्री उड़ान (पायलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची

सं.लो.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. **प्रशिक्षण:** वायु सेना अकादमी में उड़ानशाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

उड़ान प्रशिक्षण के दौरान बीमा सुरक्षा (दरें परिशोधन के अधीन हैं)

वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी दुर्घटना की स्थिति में उस फ्लाइट कैडेट के निकटतम संबंधी को रु. 800/- प्रतिमाह के मासिक अंशदान के लिए 1,00,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा करेगी जो सिविल क्षेत्र से आया हो और उड़ान प्रशिक्षण पा रहा हो। उड़ान प्रशिक्षण पा रहा कोई फ्लाइट कैडेट यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्षम हो जाता है और प्रशिक्षण मुक्त कर दिया जाता है तो उसे शत-प्रतिशत अक्षमता के लिए 20,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा किए जायेंगे तथा यह राशि इस अनुपात में घटकर 20% रह जाती है। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट रु० 21,000/- प्रतिमाह (रु. 15600/- पे बैंड में और रु. 5400/- ग्रेड पे) की नियत वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं। "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात दी जाने वाली वृत्तिका को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि, प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा।"

सरकार द्वारा फ्लाइट कैडेट को एक बार वेतन तथा भत्ते स्वीकृत कर लिए जाने पर मृत्यु सुरक्षा 50,000/- रुपए होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता सुरक्षा 25000/- रुपए होगी। वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी द्वारा एक सुरक्षा उड़ान प्रशिक्षण पा रहे प्रत्येक फ्लाइट कैडेट द्वारा 76/- रुपए के मासिक अप्रतिदेय अंशदान के भुगतान करने पर दी जाएगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होगी।

वित्तीय सहायता पर लागू होने वाली शर्तें :

(i) यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, ठहराने और चिकित्सा उपचार सहित, प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तो भी उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अपना जेब खर्च स्वयं वहन करें। वायु सेना अकादमी में प्रतिमास कम से कम 14,000/- रुपए (परिशोधन के अधीन) से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के अभिभावक या संरक्षक उस खर्च को भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वहन करने में असमर्थ हैं तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिस कैडेट के अभिभावक या संरक्षक की मासिक आय 750/- रुपए या इससे अधिक है वह वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं है। वित्तीय सहायता के पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्ति तथा अन्य परिलब्धियां और सभी स्रोतों से होने वाली आय को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार के अभिभावक/संरक्षक को अपने पुत्र/बच्चे के वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुन लिए जाने के तुरंत बाद अपना आवेदन अपने जिले के जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए। जिलाधीश उस आवेदन को अपनी अनुशंसा सहित कमांडेंट, उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स, बेगमपेट को अग्रेषित कर देगा।

(ii) वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवार को आने पर निम्नलिखित रकम (परिशोधन अधीन) कमांडेंट के पास जमा करनी है।

(क)	140 रूपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए जेब भत्ता	840 रूपए
(ख)	वस्त्र और उपस्कर मदों के लिए	1500 रूपए
	योग	2340 रूपए

उपर्युक्त रकम में से निम्नलिखित रकम कैडेट को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की

स्थिति में वापस देय है।

140 रूपए प्रतिमास की दर से 6 मास के लिए पॉकेट भत्ता - 840 रूपए।

4. भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाइंग अफसर के रैंक पर पास आउट होते हैं तथा रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। फ्लाईट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर तथा ग्रुप कैप्टन के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति उड़ान (पाइलट) शाखा की क्रमश: 02 वर्ष, 06 वर्ष, 13 वर्ष तथा 26 वर्ष की सफलतापूर्वक सेवा पूरी करने पर दी जाती है। ग्रुप कैप्टन और उच्चतर पदों में पदोन्नति सिर्फ चयन के आधार पर की जाती है। उदीयमान अधिकारियों के लिए एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल तथा एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के अच्छे अवसर होते है।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :

वार्षिक अवकाश वर्ष में 60 दिन

आकस्मिक अवकाश वर्ष में 20 दिन।

एक बार में अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 60 दिन तक की यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ 10 दिनों तक के वार्षिक अवकाश के लिए नकद भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए नि:शुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो, और तत्पश्चात प्रत्येक दूसरे वर्ष बिना किसी दूरी पर प्रतिबंध के गृह नगर के बदले में भारत में किसी भी स्थान के लिए या चयन किए गए निवास स्थान के लिए।

इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान ड्यूटी पर तैनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपर्युक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी।

जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कैलेंडर वर्ष में 6 एक तरफा यात्रा फार्म 'डी' पर पत्नी तथा बच्चों के साथ पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी द्वारा यात्रा के किराए का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे। इसमें दो उक्त फार्म 'डी' पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. **अन्य सुविधाएं :**

अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य नि:शुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाएं आदि के हकदार हैं।

(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्ने में कार्यग्रहण करने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कार्यग्रहण करें :

(क) उसे उस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने के पूर्व वापस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निश्चित करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। उन उम्मीदवारों को जैंटलमैन/महिला कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से जैंटलमैन कैडेट अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा, शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा। कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रु. 200/- प्रतिमास से अधिक होने की संभावना नहीं है, किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना, सैर-सपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप से वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है। बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 1500/- रु. प्रतिमास से कम हो। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र को कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चैन्ने को भेज देगा।

4. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धनराशि जमा करनी होगी।

(क)	1000/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन महीने के लिए जेब खर्च भत्ता	3,000/- रु.
(ख)	वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के लिए	5,000/- रु.
(ग)	2 माह के लिए समूह बीमा राशि (एजीआईएफ)	2,000/- रु.
	कुल	10,000/- रु.

यदि कैडटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी।

5. समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत परिधान भत्ता मिलेगा। कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापिस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं को सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

6. सामान्यत: किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जैंटलमैन/महिला कैडेट का थल सेना मुख्यालय द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय का एक बांड भरना होगा।

7. अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद, कैडेटों को प्रशिक्षण के केवल पहले सत्र में सिविल सेंट्रल जॉब साक्षात्कार/सेवा चयन बोर्ड के लिए आवेदन करने व जाने की अनुमति होगी। किन्तु, उन जेंटलमैन कैडेटों से, जो चयन हो जाने के बाद भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में अथवा नौ सेना और वायु सेना में सदृश कैडेट प्रशिक्षण संगठनों में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्याग पत्र देंगे, उनसे मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा।

8. जिस जैंटलमैन/महिला कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट कोर में वापिस भेज दिया जाएगा।

9. **प्रशिक्षण :**

चुने गए उम्मीदवारों को जैंटलमैन/महिला कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के उपरांत जैंटलमैन /महिला कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैडेटों को मद्रास विश्वविद्यालय रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करेगा।

10. **सेवा की शर्तें :**

(क) **परिवीक्षा की अवधि**

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस किए जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) **तैनाती :**

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर समय-समय पर आई.एच.क्यू./एम.ओ.डी. द्वारा यथा निर्धारित चुनिंदा नियुक्तियों पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है।

(ग) **नियुक्ति की अवधि:**

अल्पकालिक सेवा कमीशन (पुरुष एवं महिला) 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा अर्थात प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। जो पुरुष अधिकारी सेना में दस वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा।

वे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो कमीशन पूर्व अनुदान के लिए

चयनित नहीं हुए हैं लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिए (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेवा निर्मुक्त किया जाएगा। महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के पात्र नहीं है, तथापि वे 14 वर्ष की अवधि तक वृद्धि के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं।

(घ) **सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान :**

वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी कोर्स अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स नहीं किया हो अथवा न ही कर रहे हों, जो पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेना मुख्यालय को सेवा छोड़ने हेतु आवेदन करना होगा। तत्पश्चात सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने के पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे कोर्स करने की यथा निर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती। विमान चालकों के लिए प्रतिरोधक विमानन कोर्स अनिवार्य है, जो अल्पकालिक सेवा अधिकारियों के लिए विशेषज्ञ कोर्स है। उन्हें डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसे अन्य विशेषज्ञ कोर्सों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा।

(ड.) **बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान** :

बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी :

(i) सिविल पद प्राप्त करने पर
(ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर
(iii) अपना व्यवसाय आरंभ करने पर/फैमिली व्यवसाय अपनाने पर

(च) **स्थायी पदोन्नति :**

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा इन नियमों के तहत अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे।

(i) दो वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर कैप्टन के रैंक में।
(ii) छः वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर मेजर के रैंक में।
(iii) तेरह वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में।

(छ) **अनिवार्य शर्तें :**

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त वास्तविक रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यथा स्वीकार्य पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु पात्रता, समय सीमा और शास्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अधिकारियों तथा अल्पकालिक

सेवा कमीशन प्राप्त महिलाओं पर भी लागू होंगी।

(ज) **वरिष्ठता का समायोजन** :

एस॰एस॰सी॰ पुरुष तथा महिला अधिकारियों और साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण को समायोजित करने के लिए एस॰एस॰सी॰ पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता के लिये, विचाराधीन एस॰एस॰सी॰ कोर्स तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन कोर्स की प्रशिक्षण अवधि के बीच के अंतर की सदृश (कोरेसपौंडिंग) अवधि द्वारा कम कर दिया जाएगा। इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित, वरिष्ठता क्रम से कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे।

(झ) **गणना योग्य (रेकनेबल) कमीशन सेवा :**

उपर्युक्त पैरा 10(ज) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अध्यधीन, इस आदेश के प्रयोजनार्थ, गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि की गिनती, किसी अधिकारी को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने की तिथि से की जाएगी। कोर्ट मार्शल अथवा सेना अधिनियम के अंतर्गत किसी दंड के कारण सेवाकाल में से घटाई गई अवधि और बिना अवकाश वाली अनुपस्थिति की अवधि, गणना योग्य नहीं होगी। फर्लो दर पर प्राप्त वेतन वाली अवधि और वह अवधि गणना योग्य होगी, जो युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) के मामले में लागू वेतन दर पर युद्धबंदी के रूप में बिताई गई हो। वेतन रहित अवकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी के मामले में सेवा अवधि घटा दिए जाने के कारण उसकी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा अवधि के कम पड़ने की स्थिति में भी घटाई गई उक्त अवधि को गणना योग्य माना जाएगा। हालांकि, ऐसे अधिकारी, उक्त अवधि को गणना में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए मूल उच्चतर रैंक का वेतन और भत्ते पाने के हकदार उस तारीख से होंगे, जिस तारीख से उन्हें अर्हक सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई होती यदि उक्त अवधि को गणना में शामिल नहीं किया गया होता, न कि उस तारीख से, जिस तारीख से उन्हें मूल रैंक प्रदान किया गया है।

(ञ) <u>अवकाश:</u> समय-समय पर यथासंशोधित, सेवा अवकाश नियमावली खंड-I सेना, के अनुसार अवकाश देय होंगे।

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड-I थल सेना के अध्याय पांच में उल्लिखित हैं, वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होंगे। एस॰एस॰सी॰ महिला अधिकारी एस.ए.एल. I/एस/92-एस के अनुसार प्रसूति अवकाश के लिए पात्र होंगी।

एस एस सी महिला अफसर भी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी के लिए हकदार होंगी :–

(1) <u>**मातृत्व अवकाश**</u>. भारत सरकार रक्षा मंत्रालय संशोधित पत्र सं० बी/33922/ए जी/पी एस–2(ए बी)/1666/डी (ए जी) दिनांक 30 जून 2015।

(2) <u>**बच्चा गोद लेने के लिए अवकाश**</u>. भारत सरकार रक्षा

मंत्रालय पत्र सं० बी/33922/ए जी/पी एस–2(बी)/5/यू एस (ए जी–2)/ डी (ए जी) दिनांक 15 जनवरी 2016।

(3) **<u>शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव)</u>**. भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र सं० बी/33922/ए जी/पी एस–2(बी)/687/डी (ए जी) दिनांक 04 मार्च 2014।

(ट) **कमीशन की समाप्ति :**

किसी भी अधिकारी के कमीशन को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कारण से किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है:-

(i) कदाचार करने या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या

(iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या

(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर।

तीन महीने के नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु इसकी पूर्णत: निर्णायक भारत सरकार होगी। करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(ठ) **सेवांत उपदान :**

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एस॰एस॰सी॰ओ॰ सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे।

(ड) **रिजर्व के रहने का दायित्व :**

पांच/दस वर्ष की अल्पकालिक कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा (जैसा भी मामला हो) पूर्ण करने के बाद निर्मुक्त होने पर पांच वर्ष की अवधि तक अथवा पुरुष अधिकारियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक तथा महिला अधिकारियों के मामले में 37 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ढ) **विविध :**

सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं।

*****